(8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नाथूसिंह राठौड, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 08/2013

प्रार्थी

1. सुभानखां पुत्र उमर अली
2. ईशाकखां पुत्र उमर अली

   जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जेताराम पुत्र जवाराम
2. सारोंदेवी पत्नी जगमालराम

   जाति जाट निवासी बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

उपस्थित :– **1. श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–: निर्णय :–

दिनांक :– 26.05.2016

(राजस्व लोक अदालत)

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 162/87 से राजकीय कटान मार्ग तक आने जाने के लिये 20 फीट चौड़ा नया रास्ता विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 161/87 में से स्वीकृत करने का कष्ट करावें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय गोलिया जेतमाल में आज दिनांक 25.05.2016 को प्रस्तुत हुई प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। मजमेआम भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। तथा मजमेआम जानकारी ली गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सुभान खां की मौजा गिरली कीतपाल तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 162/87 रकबा 46.00 बीघा की खातेदारी की भूमि है। इस भूमि से लगता कटाण रास्ता नहीं है। इसमें जाने के लिये खसरा नम्बर 161/87 विप्रार्थी जेताराम के खेत में से होकर जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से राजकीय कटाण तक पहुंचने का अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में किसी प्रकार का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकार) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (1...) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

6

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिणधरी द्वारा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''हरा रंग मार्क'' अनुसार विप्रार्थीगण के ग्राम गिरली कीतपाल के खेत खसरा संख्या 161/87 में से 20 फीट चौडा 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 20 फीट का प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिणधरी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए 20 फीट के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज 20 फीट चौडे भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे।

रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया 20 फीट चौडा रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक **26.05.2016** को **राजस्व लोक अदालत शिविर/कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय डण्डाली** में दिए जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **26.05.2016** को खुले न्यायालय म... सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

(नाथूसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ;आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 158 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सुभानखां पुत्र उमरअली 2. ईशाखांपुत्र उमरअली जाति मुसलमान निवासी गिरली कितपाल तहसील सिणधरी		1. जेताराम पुत्र जवाराम 2. सारोंदेवी पत्नि जगमालराम जाति जाट निवासी बायतु तहसील सिणधरी 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
2. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से उपस्थित।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 04.12.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 162/84 नवीन खसरा नम्बर 199/162 ग्राम गिरली कितपाल पटवार मण्डल डण्डाली तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 161/87 मे से होकर आवा[illegible] हेतु प्रस्तुत प्रक[illegible] सुनवाई न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी) के निर्णय दिनांक 26.05.2[illegible] के ज[illegible] राजस्व आवेदन सं. 08/2013 अनवान सुभान बनाम जेता [illegible]ीकार कर क[illegible] प्रशस्त किया गया। कि न्यायालय हाजा के निर्णय की [illegible] में [illegible] रेकर्ड में अमलदारामद किये जाने के विरूद्व विप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील बाड़मेर में प्रस्तुत अपील सं. 68/2018 जेताराम बनाम सुभानखां में निर्णय दिनांक 21.10.2021 के जरिये प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:35 IST
Reason: SelfAttested

2.माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के निर्णय की पालना में प्रकरण असल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी से प्राप्त कर नये नम्बर पर दर्ज रजिस्टर करते हुए पक्षकारान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 162/84 नवीन खसरा नम्बर 199/162 ग्राम नेरली कितपाल पटवार मण्डल इन्द्राणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 161/87 में से होकर आवागमन हेतु प्रस्तुत प्रकरण में बाद सुनवाई न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी) के निर्णय दिनांक 26.05.2016 के जरिये राजस्व आवेदन स. 08/2013 अनवान सुमान बनाम जेता वगैरह स्वीकार कर कटाण मार्ग प्रशस्त किया गया। कि न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने के विरूद्ध विप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील बाड़मेर में प्रस्तुत अपील स. 68/2018 जेताराम बनाम सुमानखां में निर्णय दिनांक 21.10.2021 के जरिये प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष को बाद सुनवाई रिमाण्ड प्रकरण में मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त की। तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत ग्राम नेरली कितपाल के खसरा नम्बर 199/162 से सरकारी कटाण मार्ग तक पहुंचने हेतु इसी ग्राम के खसरा नम्बर 161/87 से रास्ते हेतु पूर्व में जरिये आवेदन स. 08/2013 अनवान सुमान बनाम जेता वगैरह स्वीकार कर निर्णय दिनांक 26.05.2016 के जरिये कटाण मार्ग स्वीकृत किया गया, जो कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के खसरा नम्बर 87/1 रकबा 0.0566 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ते के रूप में किया गया, जिसे पुनः यथावत रखते हुए आवागमन हेतु एकमात्र जरिया होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता में तरमीम अनुसार कह हुई है, जिसके राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है तथा मौके पर रास्ता खुला एवं आवागमन चालू है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 की अनुपालना [illegible] यथावत रखा जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी [illegible] निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिससे पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा खसरा संख्या 162/84 नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:35 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 199/162 ग्राम गिरली कितपाल पटवार मण्डल डण्डाली तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 161/87 मे से होकर आवागमन हेतु प्रस्तुत प्रकरण में बाद सुनवाई न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी) के निर्णय दिनांक 26.05.2016 के जरिये राजस्व आवेदन सं. 08/2013 अनवान सुभान बनाम जेता वगेरहा स्वीकार कर कटाण मार्ग प्रशस्त किया गया। तत्पश्चात् रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिपोर्ट पत्र कमांक 2947/11.11.2024 के द्वारा पेश की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि आवेदन सं. 08/2013 अनवान सुभान बनाम जेता वगेरहा स्वीकार कर निर्णय दिनांक 26.05.2016 के जरिये कटाण मार्ग स्वीकृत किया गया, जो कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के खसरा नम्बर 87/1 रकबा 0.0566 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ते के रूप में किया गया, जिसे पुनः यथावत रखते हुए आवागमन हेतु एकमात्र जरिया होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता में तरमीम अनुसार कह हुई है, जिसके राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है तथा मौके पर रास्ता खुला एवं आवागमन चालू है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को न्यायालय से जरियें रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 व 2 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार रास्ते हेतु पूर्व में निर्णय दिनांक 26.05.2016 की पालना में राजस्व रेकर्ड में किया गया अमलदरामद यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम गिरली कितपाल के खसरा नम्बर 161/87 में रास्ते के रूप न्यायालय निर्णय दिनांक 26.05.2016 के जरिये खसरा नम्बर 87/1 रकबा 0.0566 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ता की प्रविष्टि यथावत रखी जाती है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:03:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी